राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–104/2022
अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम–सह–निर्वाची पदाधिकारी(कोचस)
बनाम् अरबिन्द ओझा एवं अन्य (39) अभ्यर्थी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा पत्रांक 1719/निर्वा0 दिनांक 07.12.2022 से नगर पंचायत कोचस के आम निर्वाचन, 2019 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नहीं करने पर कुल 39 अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य विवरण उपलब्ध कराया गया।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474–सह–पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के तहत निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय विवरणी निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।

उक्त नियम का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 100 (2) (vi) एवं नियम 100(3) के तहत दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–474(2) में ऐसे अभ्यर्थियों पर आदेश निर्गत कि तिथि से 3 वर्षो तक निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेने पर रोक का प्रावधान है।

आयोग द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी 39 अभ्यर्थियों को उनका पक्ष रखने हेतु अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया। लिये गये निर्णयानुसार निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले 39 अभ्यर्थियों को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस निर्गत होने के उपरांत कुल 21 अभ्यर्थियों द्वारा अपना पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज तिवारी के माध्यम से रखा गया, जबकि 1 अभ्यर्थी श्री राजेन्द्र प्रसाद साह द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया। 17 अभ्यर्थी सुनवाई के दौरान कभी भी उपस्थित नहीं हुए।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज तिवारी एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद साह (अभ्यर्थी) द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने पर कभी भी **''कारण बताओं नोटिस''** निर्गत नहीं किया गया, जिसके कारण उनके द्वारा जानकारी के आभाव में इसे जमा नहीं किया जा सका।

उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम उनके निर्वाचन व्यय विवरणी को स्वीकार कर लें, परंतु उनके द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया।

आयोग द्वारा पाया गया कि सभी जिला प्रशासन को निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्रवाई के पूर्व **"कारण बताओं नोटिस"** निर्गत किये जाने का अनुदेश/निर्देश आयोग द्वारा दिया गया है, परंतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा इसका अनुपालन अक्षरशः नहीं कराया गया। फलतः आयोग द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक 15.05.2024 को सभी 39 अभ्यर्थियों को **"कारण बताओं नोटिस"** जारी करने का आदेश उन्हें दिया गया। आदेश का अनुपालन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा सभी अभ्यर्थियों को **"कारण बताओं नोटिस"** जारी किया गया जिसमें से 15 अभ्यर्थियों द्वारा अपना जवाब दिया गया है, और आरोपों को निराधार बताया गया है, जबकि 24 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के प्रतिवेदन के अनुसार सभी 39 अभ्यर्थियों के "कारण बताओं नोटिस" के जवाब की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड संख्या	पत्राचार का पता	नोटिस के उपरांत अभ्यर्थियों के जवाब की स्थिति।
1	आशुतोष बाहदुर	श्री राम आशीष सिंह	06	गाँधी नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	आरोपों को निराधार बताया है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके द्वारा व्यय विवरणी समय पर जमा कर दिया गया था।
2	प्रियंका कुमारी	श्री मुन्ना कुमार	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
3	अरविन्द ओझा	श्री राम चन्द्र ओझा	01	ओझवलिया, पोस्ट+थाना–कोचस	
4	गीता देवी	श्री दशरथ साह	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
5	उषा देवी	श्री उमेश कुमार गुप्ता	05	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
6	रेहाना खातुन	श्री अब्दुल हक साइ	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
7	नसीमा खातून	सदरूदीन अली अहमद	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
8	श्री नन्दलाल साह	स्व0 सोमारू साह	14	चाणक्य नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
9	श्रीमती गीता देवी	श्री सरोज राम	13	एन.एच. 30 छावनी रोड़, रविदास नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
10	श्रीमती निर्मला देवी	श्री विपिन सिंह	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
11	बेबी बेगम	जाउल हसन	4	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
12	श्री मथुरा चौधरी	स्व0 बाल गोविन्द चौधरी	2	ग्राम–कोरीगॉवा, थाना+पोस्ट–कोचस	
13	श्री उमेश बैठा	श्री हंस लाल बैठा	3	ग्राम–कोचस, थाना+पोस्ट–कोचस	
14	श्री प्रमोद कुमार	श्री देवमुनि सिंह	07	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
15	श्री विजय कुमार सेठ	स्व0 विश्वनाथ सेठ	06	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
16	श्री गणेश चौधरी	श्री राम चौधरी	02	बहदुटियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	
17	श्री नरेश राम	श्री बालचन्द राम	02	कोरीगॉवा, थाना+पोस्ट–कोचस	
18	श्रीमती गुड़िया देवी	श्री अरविन्द कुमार	03	महावीर स्थान, थाना+पोस्ट–कोचस	

19	श्रीमती मधु देवी	कृष्ण साह	03	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
20	सरवरी खातुन	मोहम्मद सरफुद्दीन राईन	04	थाना+पोस्ट–कोचस	
21	श्री आषीष कुमार	स्व0 राम कुमार केषरी	06	उत्तरी पटेल नगर, कोचस	
22	श्रीराम सेठ	श्री राम विलास सेठ	06	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
23	श्री राजेन्द्र प्रसाद साह	स्व0 रघुनाथ साह	07	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
24	श्रीमती किरन देवी	श्री मनोज कुमार राम	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	
25	महफुज आलम	श्री रहमान खलीफा	09	ग्राम–परसियाँ, थाना+पोस्ट–कोचस	नोटिस निर्गत होने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया।
26	श्रीमती अंजु देवी	श्री मुन्ना साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
27	श्रीमती सीता कुंवर	स्व0 रामाश्रय साह	10	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
28	श्री अखिलेश साह	श्री डोमा साह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
29	श्री ब्रजेश कुमार सिंह	श्री राम नगीना सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
30	श्री मिथलेश कुमार	श्री राम प्रवेश कानू	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
31	श्री रामव्रत भगत	श्री रामकुंवर भगत	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
32	श्री शिव कुमार चौधरी	श्री राम दयाल सिंह	11	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
33	श्रीमती पम्मी देवी	श्री बघेल बंधु गुप्ता	12	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
34	श्रीमती धनमानो देवी	श्री धर्मेन्द्र पासवान	13	कृष्णा नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	
35	श्रीमती रेणु देवी	श्री अशोक राम	13	थाना+पोस्ट–कोचस	
36	श्रीमती सुमित्रा देवी	श्री रामजी सिंह	14	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
37	फिरोजा खातुन	श्री खालिद अंसारी	15	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
38	रूबी खातून	प्रवेज अंसारी	16	ग्राम+थाना+पोस्ट– कोचस	
39	श्रीमती संगीता देवी	श्री विजय साह	16	शिव नगर, थाना+पोस्ट–कोचस	

उक्त स्थिति से यह प्रमाणित होता है कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2018 में भाग लेने वाले उक्त सभी 39 अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाची पदाधिकारी के पास निर्वाचन व्यय विवरणी जमा नहीं कराया गया था।

आयोग में वाद प्रारम्भ होने के उपरांत जो अभ्यर्थी उपस्थित हुए उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से कारण पृच्छा नहीं किया गया था, इसी कारण उनके द्वारा व्यय विवरणी जमा नहीं किया गया था, परंतु उनके इस तर्क को आयोग द्वारा स्वीकार करने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास को आदेश दिया गया कि वह कारण पृच्छा सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायें। **आयोग के आदेश का अनुपालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा किया गया तथा सभी अभ्यर्थियों को कारण–पृच्छा प्रेषित की गई, इसके बावजूद 24 अभ्यर्थियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया जबकि 15 अभ्यर्थियों द्वारा बिना किसी साक्ष्य के**

आरोप को गलत बताया गया है, जो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त सभी 39 अभ्यर्थी नियमों एवं आयोग के अनुदेशों का उल्लंघन किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में बिहार नगरपालिका अधिनियम--2007 की धारा--474--सह--पठित बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 101 (1) के उल्लंघन के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम--2007 की धारा--474(ख) के आलोक में तालिका में अंकित सभी 39 अभ्यर्थियों को आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निरर्हित घोषित किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/--
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/--
(डॉ० दीपक प्रसाद)
27.05.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक--104/2022 2294 पटना, दिनांक-- 27.5.25

प्रतिलिपिः-- सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक--104/2022 2294 पटना, दिनांक-- 27.5.25

प्रतिलिपि--जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)--सह--जिला पदाधिकारी, रोहतास/अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम--सह--निर्वाची पदाधिकारी(कोचस) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुमण्डल पदाधिकारी, सासाराम--सह--निर्वाची पदाधिकारी(कोचस) को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला सभी 39 प्रतिवादियों को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई--मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक--104/2022 2294 पटना, दिनांक-- 27.5.25

प्रतिलिपि--तालिका में अंकित सभी 39 प्रतिवादियों को सूचनार्थ प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक--104/2022 2294 पटना, दिनांक-- 27.5.25

प्रतिलिपि--श्री नीतीश कुमार, आई0टी0मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्वाचन शाखा) राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुश्रवण तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25
विशेष कार्य पदाधिकारी